

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

आदेश

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के अन्तर्गत स्थापनाओं के निबंधन, ठेकेदारों के अनुज्ञप्ति आवेदन, नवीकरण से संबंधित आवेदनों एवं अन्य आवेदनों के निष्पादन के क्रम में संहिता के अन्तर्गत घोषित प्राधिकारों द्वारा किसी अभिलेख की अपेक्षा किये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा स्व-अभिप्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए मान्य होगा।

4 11/8/26
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक-01/F1- 18/2024, श्र०सं०-..... 4750

पटना, दिनांक- 12/8/26

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/ सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त, बिहार/ अपर श्रमायुक्त/ सभी संयुक्त श्रमायुक्त/ सभी उप श्रमायुक्त/ सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक/ सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम/ मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/ सभी कारखाना निरीक्षक/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 11/8/26
श्रमायुक्त, बिहार